**अमरेन्द्र प्रसाद सिंह, भा0प्र0से0, समाहर्त्ता-सह-जिला पदाधिकारी, मुंगेर की अध्यक्षता में दिनांक 14.07.2014 को सम्पन्न जिला स्तरीय वरीय पदाधिकारियों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक की कार्यवाही :-**

---

- **उपस्थिति :-**
  1. श्री अमरेन्द्र प्रसाद सिंह, जिला पदाधिकारी, मुंगेर।
  2. श्री श्यामानन्द झा, अपर समाहर्त्ता, विभागीय जाँच, मुंगेर।
  3. श्री नागेन्द्र कुमार सिंह, उप विकास आयुक्त, मुंगेर।
  4. श्री बी0बी0 तिवारी, जिला जनशिकायत पदाधिकारी, मुंगेर।
  5. डॉ0 ईश्वरचन्द्र शर्मा, अपर समाहर्त्ता, मुंगेर।
  6. श्री रवीन्द्र नाथ, प्रभारी पदाधिकारी,बन्दोबस्त, मुंगेर।
  7. अमजद अली, निदेशक, एन0ई0पी0, मुंगेर।
  8. श्री प्रमोद कुमार, जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, मुंगेर।
  9. नजीर अहमद, जिला परिवहन पदाधिकारी, मुंगेर।
  10. श्री विजय कुमार, वरीय उपसमाहर्त्ता, मुंगेर।
  11. श्री अनिल कुमार राय, उप निर्वाचन पदाधिकारी, मुंगेर।
  12. श्री अमिताभ कुमार गुप्ता, वरीय उपसमाहर्त्ता, मुंगेर।
  13. श्री अशीष कुमार बरियार, वरीय उपसमाहर्त्ता, मुंगेर।
  14. श्री शैलेन्द्र कुमार, जिला शिक्षा पदाधिकारी, मुंगेर।
  15. श्री कुमार प्रेमनाथ , जिला कल्याण पदाधिकारी, मुंगेर।
  16. श्री चन्द्र किशोर वैद्य, जिला योजना पदाधिकारी, मुंगेर।
  17. मु0 खिलाफत अंसारी, जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, मुंगेर।
- **अवकाश/अन्य विशेष कार्य अथवा अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पदाधिकारी :-**
  1. श्री प्रभात कुमार सिन्हा, नगर आयुक्त, नगर निगम, मुंगेर।
  2. श्रीमती प्रतिभा कुमारी, वरीय उपसमाहर्त्ता, मुंगेर।
  3. श्री राजेन्द्र दास, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, ICDS मुंगेर।
  4. श्री कुमार प्रशान्त, खास महाल पदाधिकारी, सदर, मुंगेर।
  5. श्री कुन्दन कुमार, प्रभारी पदाधिकारी, MDM, मुंगेर।
  6. श्री ज्ञानेश्वर प्रकाश, जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, मुंगेर।

<u>विधि शाखा :-</u>

सर्वप्रथम विभिन्न विभागों के साप्ताहिक कार्यो की समीक्षा के पूर्व विधि शाखा में लंबित CWJC/MJC/LPA की विस्तृत समीक्षा करते हुए संबंधित पदाधिकारियों को निम्नांकित निदेश दिए गए :-

प्रभारी पदाधिकारी, विधि शाखा, मुंगेर द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी, मुंगेर के स्तर से लंबित 07 MJC वादों के अद्यतन स्थिति की पृच्छा के क्रम में जिला शिक्षा पदाधिकारी, मुंगेर ने बताया कि उनके स्तर से वर्तमान में MJC के 08 वाद लंबित है, जिसमें 04 वाद में 02 वादों में ओथ हो गया है तथा 01 वाद में न्यायालय द्वारा दिनांक 07.01.13 को खारिज कर दिया गया है एवं 01 वाद में प्रतिशपथ पत्र दायर करने हेतु तथ्य विवरणी तैयार किया जा रहा है। शेष 04 वाद के संबंध में जानकारी एकत्रित नहीं होने के कारण उक्त वाद में किसी प्रकार की कार्रवाई करना संभव नहीं हो पा रहा है। निदेश दिया गया कि यदि उक्त 04 वाद की जानकारी किसी भी स्रोत से प्राप्त नहीं हो रही है, तो इसके संबंध में महाधिवक्ता कार्यालय, पटना से पत्राचार कर वाद के अद्यतन स्थिति की जानकारी प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे।

इसी प्रकार लंबित 45 CWJC वादों के प्रगति के संबंध में बताया गया कि 06 वाद अन्यत्र जिला से संबंधित है तथा 10 वादों का अंतिम रूप से निष्पादन किया जा चुका है तथा वर्तमान में 06 वादों में ओथ दायर किया गया है। 03 वादों में तथ्य विवरणी तैयार किया गया है तथा 10 वादों की जानकारी किसी भी माध्यम से प्राप्त नहीं हो पा रही है। निदेश दिया गया कि अन्यत्र जिला के वादों को संबंधित जिला को वापस करने हेतु पत्राचार करते हुए उसकी सूचना जिला विधि शाखा, मुंगेर को उपलब्ध करायेंगे। साथ ही अबतक दायर कुल 16 वादों के ओथ की प्रति भी जिला विधि शाखा, मुंगेर को उपलब्ध कराया जाए, ताकि लंबित सूचीबद्ध वादों को अद्यतन किया जा सके। इसके साथ ही traceless वादों के अद्यतन स्थिति की जानकारी हेतु महाधिवक्ता कार्यालय, पटना से पत्राचार किया जाए।

इसके अतिरिक्त जिला शिक्षा पदाधिकारी, मुंगेर के स्तर से लंबित 05 LPA वादों के संबंध में बताया गया कि 01 वाद का निष्पादन हो गया है एवं 04 वाद traceless होने की वजह से किसी प्रकार की कार्रवाई संभव नहीं हो पा रही है। निदेश दिया गया कि traceless LPA वादों के अद्यतन स्थिति की जानकारी हेतु महाधिवक्ता कार्यालय, पटना से पत्राचार किया जाए। निष्कर्षतः स्पष्ट है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी, मुंगेर के स्तर से लंबित वादों के निष्पादन की कार्रवाई में खास रूचि नहीं ली जा रही है तथा निष्पादन प्रतिशतता में उत्तरोत्तर वृद्धि लाने की पृच्छा पर टाल-मटोल की भावना अपनाई जाती है, जो किसी भी परिस्थिति में क्षम्य नहीं है। अतएव जिला शिक्षा पदाधिकारी, मुंगेर को पुनः निदेश दिया गया कि प्रभारी पदाधिकारी, जिला विधि शाखा, मुंगेर से स्वयं सम्पर्क कर लंबित सूचीबद्ध वादों को अद्यतन करना सुनिश्चित करेंगे।

अन्य विभागीय पदाधिकारियों के स्तर से लंबित वादों के अद्यतन स्थिति की पृच्छा करने पर परिलक्षित हुआ कि सिविल सर्जन, मुंगेर के स्तर से CWJC के 34, MJC के 6, उप विकास आयुक्त, मुंगेर के 22 CWJC, अपर समाहर्त्ता, मुंगेर के 03 MJC एवं 01 CWJC वर्तमान में लंबित हैं। संबंधित पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि उक्त लंबित वादों के निष्पादन में तेजी लाना सुनिश्चित किया जाए।

इसके साथ ही जिला पंचायती राज पदाधिकारी के स्तर से लंबित 12 CWJC में 07 वाद में रिट की प्रति प्राप्त करने की कार्रवाई, 02 वाद में तथ्य विवरणी तैयार किए जाने, 01 वाद निष्पादित होने तथा 01 वाद में ओथ दाखिल किए जाने की बात बताई गई। इसी प्रकार अनुमंडल पदाधिकारी, तारापुर के स्तर से 11 CWJC. 03 MJC तथा 01 LPA वाद लंबित प्रतिवेदित हुई, जिसके निमित्त निदेश दिया गया कि उक्त लंबित वादों के अद्यतन स्थिति की जानकारी यथाशीघ्र जिला विधि शाखा, मुंगेर को उपलब्ध कराई जाए।

समीक्षा के क्रम में यह तथ्य प्रकाश में आया कि नीलाम पत्र पदाधिकारी के स्तर से लंबित 05 CWJC वादों में 02 वाद उप विकास आयुक्त के लंबित वादों की सूची में भी दर्ज है। उक्त के आलोक में प्रभारी पदाधिकारी, विधि शाखा, मुंगेर को निदेश दिया गया कि वैसे वाद जो अलग-अलग पदाधिकारियों के स्तर से लंबित सूची में सूचीबद्ध है, उसे किन्हीं एक पदाधिकारी की लंबित सूची से हटाते हुए अद्यतन सूची संबंधित पदाधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

इसके अतिरिक्त शस्त्र दण्डाधिकारी, मुंगेर के स्तर से लंबित 12 CWJC वादों के संबंध में प्रभारी पदाधिकारी, जिला शस्त्र शाखा, मुंगेर द्वारा बताया गया कि वर्तमान में एक भी वाद लंबित नहीं है। उनके द्वारा समर्पित प्रतिवेदनानुसार मात्र ओथ दायर किए जाने की सूचना दी गई, ओथ की प्रति संलग्न नहीं की गई है। इसी दरम्यान अपर समाहर्त्ता, मुंगेर द्वारा बताया गया कि उनके लंबित सूची में एक वाद शस्त्र से संबंधित हैं, जिसे प्रभारी पदाधिकारी को पत्राचार के माध्यम से वापस किया गया है, अर्थात् वर्तमान परिपेक्ष्य में शस्त्र से संबंधित 01 वाद लंबित प्रतिवेदित है। निदेश दिया गया कि यथाशीघ्र लंबित वाद के निष्पादन प्रक्रिया में यथोचित कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाए।

शिक्षक नियोजन की कार्रवाई के कारण बैठक में अनुपस्थित नगर आयुक्त, नगर निगम, मुंगेर एवं कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, जमालपुर द्वारा समर्पित प्रतिवेदनानुसार निष्पादित वादों की सूची तो उपलब्ध कराई गई है, परन्तु जिस आदेश से वाद का अंतिम रूप से निष्पादन हुआ है, उसकी प्रति उपलब्ध नहीं कराई गई है और न ही ओथ की प्रति ही उपलब्ध कराई गई है। निदेश दिया गया कि उपरोक्त दोनों पदाधिकारियों वादों की अद्यतन जानकारी समर्पित करने हेतु ओथ तथा अंतिम रूप से पारित आदेश की प्रति जिला विधि शाखा, मुंगेर को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

प्रायः यह देखा जाता है कि न्यायालय कार्य का बहाना बनाकर अधिकांश पदाधिकारी मुख्यालय से बाहर प्रस्थान कर जाते हैं तथा पृच्छा करने पर कोई सशक्त उत्तर देने में असमर्थता व्यक्त करते हैं। उदाहरणस्वरुप आज की बैठक में श्रावणी मेला से संबंधित तैयारियों की परिचर्चा के क्रम में कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, मुंगेर के उपस्थित प्रतिनिधि श्री गिरिजा प्रसाद रजक, प्राक्कलक, भवन प्रमंडल, मुंगेर द्वारा बताया गया कि कार्यपालक अभियंता न्यायालय कार्य से पटना गए हुए हैं, तथा रविवार दिनांक 13.07.2014 को भी वे मुख्यालय से अनुपस्थित थे, जबकि इस आशय की सूचना अधोहस्ताक्षरी को किसी भी स्रोत से उपलब्ध नहीं कराई गई। तत्पश्चात् कार्यपालक अभियंता से दूरभाष पर वार्त्ता के क्रम में न्यायालय वाद की जानकारी की पृच्छा पर टाल-मटोल रवैया अपनाते हुए वाद की जानकारी देने में असमर्थता व्यक्त की गई। साथ ही वाद संख्या तो दूर,

वादी/प्रतिवादी का नाम भी उनके द्वारा नही बताया जा सका। इस तरह का कृत्य सरकारी सेवक आचरण के प्रतिकूल है तथा इसे लापरवाह एवं अक्षम पदाधिकारी की श्रेणी में रखते हुए विभागीय कार्रवाई प्रारंभ करना न्यायसंगत है। अतः सभी पदाधिकारी को यह निदेश दिया जाता है कि सरकार की महत्वपूर्ण एवं महत्वाकांक्षी योजनाओं के विकास में अपनी तन्मयता से कार्यों का सम्पादन सुनिश्चित करें, न कि कर्त्तव्य से परे न्यायालय कार्य का बहाना बनाकर विकास कार्य में अरूचि प्रदर्शित करें।

**RTPS** :- लोक सेवाओं के अधिकार अधिनियम अन्तर्गत दी जाने वाली सेवाओं के तीव्रतम् निष्पादन सुनिश्चित करने हेतु विभागीय निदेशानुसार प्रखंड के वरीय पदाधिकारी (Mentor) को निम्नलिखित कार्यों पर विशेष समीक्षा करने का निदेश दिया गया :-

- कतिपय प्रतिवेदनों से यह परिलक्षित होता है कि काफी संख्या में प्राप्त आवेदनों (विशेषकर दाखिल-खारिज) को बिना कारण स्पष्ट किए समय सीमा पश्चात् अस्वीकृत कर दिया जाता है, जो उचित नहीं है। अतः नोडल पदाधिकारी भ्रमण के दौरान Expire/Reject आवेदनों की गहन जाँच निश्चित रूप से करेंगे। साथ ही समय सीमा पश्चात् Expire/Reject आवेदनों के विरूद्ध दोषी पदाधिकारी/कर्मी को दण्ड स्वरूप राशि अधिरोपित कर राशि की वसूली सुनिश्चित किया जाए।
- Raid एवं निरीक्षण हेतु विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए विहित प्रपत्रानुसार निरीक्षण कर निरीक्षण दिवस की संध्या तक उक्त विहित प्रपत्र में आंकड़ों का समावेश कर प्रतिवेदन निश्चित रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- आर0टी0पी0एस0 अधिनियम के अन्तर्गत जिन कर्मियों पर दण्ड स्वरूप राशि अधिरोपित की गई है, उनसे शत-प्रतिशत राशि की वसूली सुनिश्चित कर प्रतिवेदन समर्पित की जाए।
- प्रखंडों के वरीय पदाधिकारी (Mentor) RTPS काउण्टरों के आस-पास दलाली व्यवस्था पूर्णरूपेण बंद करने हेतु कार्यालय खुलने के समय तथा बंद होने के पूर्व औचक निरीक्षण कर दलालों को पकड़कर उनके विरूद्ध कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

आई0टी0 प्रबंधक, मुंगेर साप्ताहिक रूप से विहित प्रपत्र में प्राप्त/अप्राप्त की सूची पदाधिकारीवार तैयार कर साप्ताहिक समीक्षा बैठक में उपलब्ध कराएँगे।

प्रखंड-सह-अंचल के सभी नोडल पदाधिकारी सुविधानुसार सप्ताह के किसी एक दिवस को प्रखंड/अंचल स्तरीय पदाधिकारियों के साथ बैठक आयोजित कर कार्यवाही अधोहस्ताक्षरी को समर्पित करेंगे, जिसमें प्रत्येक बैठक में सरकार द्वारा कार्यान्वित किसी एक विकासात्मक विषय पर विशेष रूप से विस्तृत समीक्षा कर अद्यतन प्रतिवेदन से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराया जाए।

**<u>जिला जन शिकायत कोषांग :-</u>**

जिला जनशिकायत पदाधिकारी, मुंगेर द्वारा समर्पित प्रतिवेदनानुसार मुख्यमंत्री सचिवालय, मुख्य सचिव अथवा मुख्यमंत्री जन शिकायत कोषांग तथा जिला जनता दरबार के लंबित आवेदनों की पदाधिकारीवार स्थिति निम्नवत् है :-

| क्र0 | पदाधिकारी/विभाग का नाम | मुख्यमंत्री सचिवालय | | | जिला जनता दरबार | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | भेजे गये आवेदन | निष्पादित आवेदन | लंबित | भेजे गये आवेदन | निष्पादित आवेदन | लंबित |
| 1 | नगर आयुक्त, नगर निगम, मुंगेर | 26 | 17 | 9 | 726 | 111 | 615 |
| 2 | अपर समाहर्त्ता, मुंगेर | 67 | 57 | 10 | 187 | 09 | 178 |
| 3 | उप विकास आयुक्त, मुंगेर | 24 | 10 | 14 | 485 | 94 | 391 |
| 4 | जिला स्थापना शाखा | 13 | 12 | 01 | 172 | 43 | 129 |
| 5 | जिला विधि शाखा | 4 | 0 | 4 | 74 | 05 | 69 |
| 6 | जिला सामान्य शाखा | 6 | 1 | 5 | 147 | 33 | 114 |
| 7 | जिला पंचायती राज पदाधिकारी, मुंगेर | 16 | 06 | 10 | 153 | 13 | 140 |
| 8 | जिला आपूर्ति पदाधिकारी, मुंगेर | 10 | 09 | 01 | 225 | 08 | 217 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | जिला शिक्षा पदाधिकारी, मुंगेर | 57 | 35 | 22 | 571 | 41 | 530 |
| 10 | जिला आपदा प्रबंधन, मुंगेर | 11 | 03 | 08 | 127 | 10 | 117 |
| 11 | भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, सदर | 15 | 11 | 04 | 479 | 147 | 332 |
| 12 | जिला खनन पदाधिकारी, मुंगेर | 4 | 2 | 2 | 23 | 4 | 19 |
| 13 | उप निर्वाचन पदाधिकारी | 2 | 0 | 2 | 45 | 7 | 38 |
| 14 | जिला भू-अर्जन | 3 | 1 | 2 | 39 | 10 | 29 |
| 15 | जिला शस्त्र शाखा | 2 | 0 | 2 | 69 | 21 | 48 |
| 16 | जिला प्रोग्राम ICDS | 5 | 0 | 5 | 514 | 48 | 466 |
| 17 | जिला योजना पदाधिकारी, मुंगेर | 8 | 0 | 8 | 57 | 7 | 50 |
| 18 | जिला परिवहन पदाधिकारी, मुंगेर | 0 | 0 | 0 | 17 | 14 | 3 |
| 19 | प्रभारी पदा0, MDM | 0 | 0 | 0 | 22 | 06 | 16 |
| 20 | महादलित कल्याण पदा0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 21 | जिला जनसंपर्क पदा0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | **कुल** | **276** | **165** | **111** | **4136** | **631** | **3505** |

इस तरह जिला शिक्षा पदाधिकारी, मुंगेर के कार्यालय में 57 आवेदन पत्रों में 35 आवेदन पत्र का निष्पादन किया गया एवं 22 अभी भी लंबित है। उप विकास आयुक्त, मुंगरे के स्तर से 24 आवेदन पत्र में से 10 आवेदन पत्रों का निष्पादन हो चुका है, 14 आवेदन पत्र लंबित है।

जिला जन शिकायत पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि जनता दरबार में प्राप्त आवेदन पत्रों को भी संबंधित विभाग को भेजा जाता है। लेकिन एक भी आवेदन पत्रों का जॉच प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होता है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा बैठक में उपस्थित सभी विभागीय पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि मुख्यमंत्री सचिवालय/जिला जनता दरबार से प्राप्त आवेदन पत्रों की जॉच निर्धारित समय के अनुसार निष्पादन सुनिश्चित करेंगे।

**<u>प्रखंड/अंचल का निरीक्षण :-</u>**

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि जिलान्तर्गत 09 प्रखंड/अंचल में से मात्र 04 प्रखंड/अंचल के वरीय प्रभारी पदाधिकारी (Mentor) द्वारा ही निरीक्षण टिप्पणी बैठक के दौरान अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराई गई, जबकि गत बैठक में स्पष्ट रूप से निदेश दिया गया था कि सभी प्रखंडों के वरीय प्रभारी पदाधिकारी सप्ताह में कम-से-कम एक बार अपने प्रभार के प्रखंड/अंचल के कार्यों की समीक्षा कर निरीक्षण टिप्पणी उपलब्ध कराएँगे। कुछ पदाधिकारियों द्वारा बताया गया कि निरीक्षण किया गया है, परन्तु निरीक्षण टिप्पणी तैयार नहीं की जा सकी है। यह स्थिति खेदपूर्ण है। यदि निरीक्षणोपरान्त निरीक्षण टिप्पणी उपलब्ध नहीं कराई जाती है, तो फिर किए गए निरीक्षण का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। पुनः सभी प्रखंडों के वरीय पदाधिकारी ( Mentor) को निदेश दिया गया कि सप्ताह में अपनी सुविधानुसार कम-से-कम एक दिवस को अपने आवंटित प्रखंड का निरीक्षण कर निरीक्षण टिप्पीण प्रत्येक दशा में सप्ताहान्त के पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

अन्त में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

ह0/-

**(अमरेन्द्र प्रसाद सिंह)**
**जिला पदाधिकारी, मुंगेर।**

ज्ञापांक-...1943......./गो0, मुंगेर, दिनांक 16.7.14

प्रतिलिपि : आयुक्त, मुंगेर प्रमण्डल, मुंगेर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अपर समाहर्त्ता, विभागीय जाँच, मुंगेर/नगर आयुक्त, नगर निगम, मुंगेर/जिला जनशिकायत पदाधिकारी, मुंगेर/अपर समाहर्त्ता, मुंगेर/उप विकास आयुक्त, मुंगेर/प्रभारी पदाधिकारी, बंदोवस्त, मुंगेर/सभी शाखा/कार्यालयों के वरीय पदाधिकारी/जिला शिक्षा पदाधिकारी, मुंगेर/जिला जनसमपर्क पदाधिकारी, मुंगेर/आई0टी0 प्रबंधक, मुंगेर एवं अन्य सभी संबंधित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15.7.14

**(अमरेन्द्र प्रसाद सिंह)**
**जिला पदाधिकारी, मुंगेर।**